जिला जजशिप टिहरी गढवाल में न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु बोली/नीलामी के माध्यम से संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित शर्ते

जिला जजशिप टिहरी गढवाल के नई टिहरी मुख्यालय स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा संचालन पर दिया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनॉक 24.03.2025 दिन मंगलवार समय 4:00 बजे के न्यायालय प्रॉगण में उपस्थित होकर कैन्टीन की नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकता है। कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु शर्ते निम्न प्रकार है :–

(1) कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम बोली का निर्धारण विगत वर्ष बोली गयी अधिकतम बोली मु0 66,000/– में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रू0 72,600/– निर्धारित की गयी है। कैन्टीन की बोली में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित न्यूनतम धनराशि से ऊपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी।

(2)– उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई धनराशि को उसी दिन बतौर जमानत नजारत अनुभाग में जमा कराना होगा।

(3)– समिति द्वारा स्वीकार किया गया अधिकतम बोली मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब जिला न्यायाधीश, टिहरी गढवाल द्वारा अनुमोदित कर लिया जायेगा।

(4) नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की धनराशि 4 किश्तों में जमा करनी होगी । जमानत की धनराशि बोली बोलने वाले दिन ही जमा करनी होगी, तथा प्रथम किस्त बोली के दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, दूसरी किश्त दिनॉक 01–07–2025, तीसरी किश्त दिनॉक 01–10–2025 तथा चौथी किश्त दिनॉक 01–01–2026 तक जमा करनी होगी। नियत तिथि तक किश्त जमा न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है। ठेके की अवधि समाप्त होने पर जमानत की धनराशि वापस अथवा दिनांक 01.01.2026 को देय अन्तिम किस्त में परिवर्तित की जा सकती है।

(5)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह नीलामी की शर्तों के अनुरूप एक बन्धनामा श्रीमान जिला न्यायाधीश, टिहरी गढवाल के पक्ष में जमा करेगा, ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा और दोबारा नीलामी की जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी ।

(6)– प्रश्नगत कैन्टीन में किसी भी दशा में कोई भी नशीली वस्तु अथवा सड़ा गला खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी। खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ विक्रय किया जायेगा तथा दुकान में किसी भी प्रकार से पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा । उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए जमानत राशि जब्त की जायेगी व शेष धनराशि , यदि कोई हो, की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(7)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह बोली स्वीकृत होने के पश्चात बन्धनामा भरने , जमानत देने एवॅ पहली किश्त अदा करने के बाद आदेश मिलने पर दुकान का काम शुरू करेगा ।

(8)–दुकान में कार्य शुरू करने पर उसे अलग से सफाई एवॅ कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी ।

(9)– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो वह बोली नहीं बोल सकता है । इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमानत देते समय प्रस्तुत करना होगा । जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वयं तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नौकर, जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो , दुकान/रेस्टोरेंट पर बैठ सकता है ।

(10) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा, भोजन बनाने वाली जगह एवं भोजन पकाने वाली जगह साफ सुथरी एवं कीचड रहित, गन्दगी रहित रखेगा एवं भोजन सामग्री पर किसी प्रकार के मक्खी, मच्छर, कीडे–मकोडे नहीं बैठे इस हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

(11)– श्रीमान जिला न्यायाधीश, टिहरी गढवाल को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली बोलने वाले की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(अरविन्द चौहान)
कोषाधिकारी
टिहरी गढवाल

(मौ0 याकूब)
सदस्य/सिविल जज (सी0डि0)
टिहरी गढवाल

(नसीम अहमद)
अध्यक्ष/अपर जिला न्यायाधीश
टिहरी गढवाल।

18/03/25